न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–सीकर (राज.)
पीठासीन अधिकारी – दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 53/2021
जी0सी0एम0एस नम्बर :– 2021/342
दायर दिनांक :– 13.12.2021
निर्णय दिनांक :– 14.09.2022

उनवान प्रकरण

1. कैलाशचन्द पुत्र गोपाल उम्र 49 वर्ष
2. श्रीराम पुत्र गोपाल उम्र 47 वर्ष

समस्त जाति अहीर(अहीर) निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. मदन पुत्र सुरजमल उम्र 55 वर्ष
2. रामेश्वर पुत्र सुरजमल उम्र 70 वर्ष
3. सत्यनारायण पुत्र मुरली उम्र 72 वर्ष

   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
4. पटवारी पटवार हल्का लिसाडिया
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

–अप्रार्थीगण

6. बनवारी पुत्र गोपाल उम्र 42 वर्ष समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

– तरतीबी अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.28 11:54:52 IST
Reason: SelfAttested

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ::–

उपस्थिति:–

1. श्री विक्रम सिंह बांकावत, अभिभाषक –प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत , अभिभाषक – अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 की ओर से।

14/09/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1221 रकबा 1.69 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम लिसाड़िया पटवार हल्का लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है। जिसके प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार होकर उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड चली आ रही है। जिसमें प्रार्थीगण अपने पुख्ता आवासीय मकान बनाकर मय परिवार निवास करते चले आ रहे है तथा पशुओं के बाडे आदि बना रखे है तथा प्रतिवर्ष की कृषि उपज करके अपना तथा अपने परिवार का जीवनयापन करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 1221 के उत्तरी पश्चिमी दिशा में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1231 रकबा 0.63 हैक्टर है तथा उसके उत्तर दिशा में अजीतगढ–श्रीमाधोपुर सडक मार्ग है। अप्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नम्बर 1231 की पूर्वी सीमा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1221 के उत्तरी–पश्चिमी कोने में आकर मिलती है तथा दक्षिण दिशा में आगे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1221 के साथ–साथ भूमि खसरा नम्बर 1230 से मिल जाती है। जिसके सहारे–सहारे प्रार्थीगण के आवागमन का एकमात्र रास्ता है। जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के मृत्तक पिता गोपाल के पक्ष में लिखावट दिनांक 10.02.2000 भी निष्पादित की है। उक्त रास्ते को संलग्न नजरी नक्शे में डोटेड बिन्दुओं के रूप में लाल स्याही दर्शित किया है। उक्त वर्णित रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में आने का एकमात्र प्रचलित एवं कदीमी रास्ता होकर लघुतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन का प्रचलित एवं कदीमी रास्ता नहीं है तथा नही अन्य कोई लघुतम रास्ता उक्त भूमि में आने के लिए है। उक्त रास्ते के संबंध में विवाद होने पर प्रार्थीगण के पिता के द्वारा सिविल न्यायालय श्रीमाधोपुर में एक वाद पेश किया गया था। माननीय सिविल न्यायालय में उक्त रास्ते के संबंध में पेश वादपत्र के जवाब दावा में अप्रार्थीगण ने उक्त लिखावट को स्वीकार करते हुये अंकित किया कि **''जो लिखावट दी ... वह केवल पैदल आने जाने के लिए पगडंडी दी गई थी''** इस प्रकार अप्रार्थीगण ... द्वारा स्वीकृत तथ्य उक्त रास्ते उक्तानुसार होने बाबत है। इसके अलावा उक्त प्रकरण में ... जवाब दावा में अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि **''वादी रास्ते की भूमि से दो गुना भूमि देगा, परन्तु उसने रास्ते की दो**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.28 11:54:52 IST
Reason: SelfAttested

14/09/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

गुना भूमि देने से इंकार कर दिया व न ही भूमि की कीमत दी" एवं स्वीकृति से दिये गये रास्ता के बाबत सुखाधिकार प्राप्त नही होता है तथा आगे जवाब दावा में **सहमति से पगडंडी दिया जाना** अंकित किया हैं। इस प्रकार अप्रार्थीगण के द्वारा पगडंडी के रूप में उक्त रास्ता होने का तथ्य स्वीकार किया है। परन्तु यहां उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा सन् 2003 में उक्त रास्ते बाबत दावा पेश किया गया था। उस समय धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान नही थे। इसलिये तत्कालीन उपलब्ध कानूनी अनुतोष के तहत उक्त वादपत्र पेश किया गया था। प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि में आवागमन के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा न ही अन्य कोई प्रचलित रास्ता है तथा न ही अन्य कोई लघुतम रास्ता है। इसलिये प्रार्थीगण की कृषि भूमि एवं उसमें स्थित मकानों में आवागमन, ट्रेक्टर, उंट लढडा, वाहनों, पशुओं, पानी के टैंकर आदि के आवागमन के लिए प्रार्थीगण धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1231 की पूर्वी सिंव के सहारे–सहारे अपनी भूमि खसरा नम्बर 1221 के उत्तरी–पश्चिमी कोने तक संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से डोटेड बिन्दुओं से दर्शितानुसार 14 फुट चौडाई का रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। उक्त वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1221 में आवागमन के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1231 की पूर्वी सिंव के सहारे–सहारे संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से डोटेड बिन्दुओं से दर्शितानुसार 14 फुट चौडाई भूमि को अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत गैर मुमकीन रास्ता भूमि दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। तरतीबी अप्रार्थी 6 प्रार्थीगण के साथ–साथ उक्त भूमि खसरा नम्बर 1221 का खातेदार काश्तकार है। जिनका उक्त वादग्रस्त भूमि एवं रास्ता में हित निहित है परन्तु प्रार्थना पत्र दायरी के समय उपस्थित नही होने के कारण बतौर तरतीबी अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1221 रकबा 1.69 हैक्टर अव[illegible] हल्का लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 एवं उसमें अवस्थित आवासीय मकानो में आवागमन एवं रास्ते की भूमि के रूप में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1231 की पूर्वी सिंव के सहारे–सहारे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1221 के उत्तरी–पश्चिमी कोने तक संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से डोटेड बिन्दुओं से दर्शितानुसार 14 फुट चौडाई की भूमि, को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.28 11:54:52 IST
Reason: SelfAttested

14/09/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

गैर मुमकीन रास्ता भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में इन्द्राज करने के आदेश अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 5 को प्रदान किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण द्वारा किया गया है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 3 की ओर से श्री दिनेश सिंह शेखावत एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एंव जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु अवसर चाहे गये। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। लेकिन तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण ने सीधे ही लिखित बहस प्रस्तुत की। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने रास्ता दिये जाने बाबत निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में 14 फुट चौड़ाई का रास्ता नियमानुसार दिये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की। वकील अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते बाबत सहमति व्यक्त कर दिये जाने से प्रकरण में सीधे ही बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शितानुसार रास्ता दिये जाने बाबत निवेदन किया। वही वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण के आवेदकगणों द्वारा प्रार्थीगण की भूमि मे से धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के तहत रास्ता लेना चाहते हैं। जिसमें आवेदक कैलाश चन्द वगै. की कृषि भूमि प्रार्थीगण की भूमी से सटाकर स्थित होने के कारण प्रार्थीगण मदन लाल को रास्ते मे जाने वाली भूमी के क्षेत्रफल की दुगुनी भूमी प्रार्थीगण को कृषि भूमी के सटाकर दिखाई जाने पर प्रार्थीगण रास्ते देने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थीगण से आवेदक कैलाश चन्द वगै. ने रास्ते की 14 फुट चौड़ाई की भूमी सहमति से लेने हेतु 300000/– तीन लाख रूपये प्रार्थीगण को [illegible] लिखापढ़ी दिनांक 11.01.2022 को मोजिज व्यक्तियों के समक्ष की। जिससे भी आवेदक कैलाश चन्द वगै. मुकर रहे है। जिससे कैलाश चन्द वगै. पाबंद है लेकिन फिर भी प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमी मे से रास्ते के लिए जाने वाली भूमी का क्षेत्रफल की दुगुनी भूमी सटाकर वास्तविक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.28 11:54:52 IST
Reason: SelfAttested

14/09/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रूप से देने व राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज करवाने पर रास्ता देने हेतू पूर्ण सहमति प्रदान करने का निवेदन अपनी लिखित बहस में किया हैं।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी। बहस वकुलाय पर सगौर मनन किया। प्रकरण में दौराने बहस दोनों पक्षों के पक्षकारान् को भी उनके अधिवक्तागणों के माध्यम से खुले न्यायालय में तलब किया गया तथा प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की गई। इसके उपरान्त न्यायालय में उपस्थित पक्षकारान् का बारी–बारी से पक्ष सुना गया तथा उनसे रास्ते बाबत सहमति दिये जाने के क्रम में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में आपसी समझाईस की गई। परन्तु अप्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन नहीं देकर भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर रास्ता दिये जाने बाबत अवगत कराया गया। जिस पर उपस्थित अप्रार्थीगण को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 251 (ए) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध में एंव राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों/साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराते हुए प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता 14 फुट की चौड़ाई में वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन देने पर अपनी सहमति व्यक्त की। जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने बाबत सहमति व्यक्त की गई। जिस पर उपस्थित पक्षकारान् को राज्य सरकार द्वारा बनाये गये राजस्व कानूनों में किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत ही प्रकरण में निर्णय किये जाने बाबत अवगत कराया जाकर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता द्वारा 14 फुट चौड़ाई का रास्ता दिये जाने बाबत सहमति प्रदान कर दिये जाने से प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रास्ते बाबत वस्तुस्थिति की रिपोर्ट नहीं मॅगवाई जाकर सीधे ही निर्णय पारित किया जा रहा है।

अतः ऐसी स्थिति [illegible] हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति [illegible] प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगणों के कृषि जोत के लिए भी उपयुक्त हो [illegible] वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी राशि पर रास्ता उपलब्ध कराने में कोई ए[illegible]ज नहीं होने बाबत अवगत कराने पर वकील प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.28 11:54:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

14/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अधिनियम –1955 के तहत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर उक्त संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते के काम आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर राज्यकोष में जमा लिया जाना उचित प्रतित होता हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है एंव आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1221 रकबा 1.69 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर एवं उसमें अवस्थित आवासीय मकानो में आवागमन एवं रास्ते की भूमि के रूप में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1231 की पूर्वी सिंव के सहारे–सहारे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1221 के उत्तरी–पश्चिमी कोने तक संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से डोटेड बिन्दुओं से दर्शितानुसार 14 फुट चौडाई की भूमि, को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थीगण से ली जाकर राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही किया जाना उचित समझते है। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.28 11:54:52 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपयुर्क्त विवेचना अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है एंव आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1221 रकबा 1.69 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में आवागमन हेतु

14/09/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1231 की पूर्वी सिंव के सहारे-सहारे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1221 के उत्तरी-पश्चिमी कोने तक संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से डोटेड बिन्दुओं से दर्शितानुसार 14 फुट चौड़ाई की भूमि, को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें। चूंकि रास्ते में लगने वाली भूमियॉ बिला नाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी से (रकबा रास्ता कम करने के बाद) खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रार्थीगण को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शितानुसार दिये जाने वाले रास्ते की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थीगण से ली जाकर राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही की जावे। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

14/09/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.28 11:54:52 IST
Reason: SelfAttested

14/09/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर